संक्षिप्त

अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

टोंक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन मे थानाधिकारी उनियारा कप्तान के नेतृत्व में उनियारा थाना क्षेत्र स्थित बंसल पैट्रोल पम्प सवाई माधोपुर उनियारा के पास संचालित अवैध शराब की ब्रांच पर कार्यवाही करते हुए आरोपी कमलेश पुत्र हनुमान मीणा उम्र 38 साल निवासी श्योपुरा थाना उनियारा के कब्जे से अलग-अलग ब्रॉड के 509 पव्वे देशी शराब, 191 पव्वे अग्रेजी शराब, 66 अग्रेजी शराब, 133 बोतल बीयर की जप्त की गई है। इसी प्रकार ईट भट्टे के पास ग्राम बालीथल पर संचालित अवैध शराब की ब्रांच पर रामराज पुत्र बंशी लाल नायक उम्र 23 साल निवासी कुण्डिया के कब्जे से अलग-अलग ब्रॉंड के 96 पव्वे देशी शराब, 31 पव्वे अग्रेजी शराब, 25 हॉंफ अग्रेजी शराब, 114 बोतल बीयर की जप्त की गई। दोनो आरोपियों के विरुध आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

दिन दहाड़े मकान के ताले तोड़े

निवाई। शहर की जगदम्बा कॉलोनी द्वितीय में चोर दिन दहाडे एक मकान का ताला तोडक़र आलमारी में से डेढ लाख रूपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चुराकर ले गए। पीड़ित यशकुमार विजय ने बताया कि जगदम्बा कॉलोनी द्वितीय में स्थित मकान नम्बर 13 में सोमवार की दोपहर करीब 1:45 बजे से 2:35 के बीच अज्ञात चोर ताले तोडक़र अंदर घुस गए और अंदर रखी हुई आलमारी में रखे 1 लाख 50 हजार रूपए की नकदी और सोने के कानो टॉप्स चुराकर ले गए। पीड़ित ने पुलिस थाने मामला दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आस-पास में लगे सीसी टीवी केमरे खंगाले। जिनके दो संदिग्ध युवक नजर आए।

अपहरण मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

टोंक। उनियारा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनियारा थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि गत 19 अप्रेल को नाबालिग पीडिता के पिता द्वारा थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी लडकी को अज्ञात युवक द्वारा अपहरण दुष्कर्म किया गया हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने प्रकरण मे कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयानों के बाद वांछित आरोपी अनिल मीना उर्फ गोलू पुत्र लोडक्या मीना उम्र 19 साल निवासी चौनपुरा थाना उनियारा को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में आरोपी द्वारा प्रयुक्त की गई मोटरसाईकिल को जप्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी को

नाम परिवर्तन

मैं, मायल मनमीत कौर इंद्रपाल सिंह मायल, यह घोषित करती हूँ कि मेरी बेटी का नाम सीबीएसई अभिलेखों में गलत रूप से REETIKA SANTOSH RODE दर्ज है। कृपया इसे REETIKA RODE में संशोधित किया जाए।

मैं, संतोष रोडे, रीतिका रोडे के पिता, यह घोषित करता हूँ कि मेरी बेटी के सीबीएसई अभिलेखों में मेरा नाम गलत रूप से RODE SANTOSH HARISCHANDRA दर्ज है। कृपया इसे SANTOSH RODE में संशोधित किया जाए।

मैने अपना नाम सुमित अग्रवाल से बदलकर सुमित महेश अग्रवाल कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए, सुमित महेश अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल निवासी मकान नंबर 201, नवकार रेजीडेंसी, कलेक्ट्रेट सर्किल, बनीपार्क, जयपुर

मैं, मायल मनमीत कौर, रीतिका रोडे की माता, यह घोषित करती हूँ कि मेरी बेटी के सीबीएसई अभिलेखों में मेरा नाम गलत रूप से RODE MANMEET SANTOSH दर्ज है। कृपया इसे MAYAL MANMEET KAUR INDERPAL SINGH MAYAL में संशोधित किया जाए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

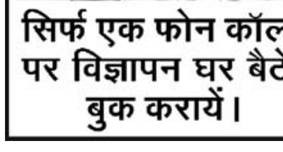

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कलक्टर ने ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ

आम नागरिक रथों की सुझाव पेटिका में डाल सकेंगे अपने सुझाव

दौसा । ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिले में 15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान' का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा एवं जनप्रतिनिधियों ने जिला कलक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

जिला कलक्टर डॉ. झा ने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीणों से सीधे सुझाव प्राप्त करने के लिए ग्राम रथों में सुझाव पेटिका की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोक कलाकारों के कला जत्थे के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

प्रत्येक दिन ग्राम रथ के अंतिम पड़ाव वाली ग्राम पंचायत में संध्या चौपाल का आयोजन होगा, जहां

जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा एवं जनप्रतिनिधियों ने जिला कलक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 13 विभागों- कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास-की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही संबंधित प्रचार सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों के दल ने योजनाओं पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया। ग्राम रथों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ऑडियो-वीडियो के जरिए योजनाओं की

- ग्राम पंचायतों में होगा ग्राम-2026 एवं 13 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार
- लोक कलाकार ग्रुप ने दी आकर्षक प्रस्तुति

जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त सुझावों का उपयोग योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में किया जाएगा।

रवानगी कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (लालसोट) मनमोहन मीणा, उपखंड अधिकारी संजू मीणा, नगर विकास न्यास सचिव मूलचंद लूनिया, जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर, विपिन जैन, सियाराम शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विशेष टीकाकरण

पावटा। उपखंड पावटा मुख्यालय स्थित उपजिला अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और एचपीवी वैक्सीन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया जाएगा।

भिवाड़ी में नाबालिग से थाने में बर्बरता का मामला

अलवर। भिवाड़ी के यूआईटी थाने में एक नाबालिग दलित के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद उसे जयपुर में भर्ती कराया गया है।

दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार दोपहर को प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने भिवाड़ी पहुंचकर नाबालिग के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद संजना जाटव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर सांसद प्रत्याशी ललित यादव, तिजारा से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी इमरान खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव और कोटकासिम की पूर्व प्रधान डॉ. विनोद कुमारी सांगवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने थाने के अंदर नाबालिग के साथ इस बर्बर रवैये को शर्मनाक बताया।

पायलट के खिलाफ अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

टोंक। भाजपा नेता राधा मोहन अग्रवाल द्वारा टोंक दौरे के दौरान एआईसीसी महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी व टोंक विधायक सचिन पायलट के खिलाफ अशोभनीय और अमर्यादित भाषा के उपयोग पर जिला कांग्रेस कमेटी टोंक द्वारा जिलाध्यक्ष सऊद सईदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा घंटाघर चौराहे पर अग्रवाल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी गांधी पार्क टोंक में एकत्रित होकर गांधी पार्क से घंटाघर चौराहे से पुतले की अर्थी का जुलूस निकाला गया।

भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा सोमवार को आयोजित भाजपा जनसभा को सम्बोधित करते हुए उनके द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान केवल ध्यान भटकाने के उद्देश्य से की गई एक बयानबाज़ी हैं। उन्होंने बताया कि पायलट केवल एक नेता नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और भरोसे का प्रतीक हैं, खासतौर पर युवा, किसान, मजदूर और देश के जवान उनसे अपनी आवाज जुड़ी हुई महसूस

कार्यकर्ताओं द्वारा घंटाघर चौराहे पर अग्रवाल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया।

करते हैं। ऐसी अमर्यादित बयान राजनीति के स्तर को गिराने वाला और अत्यंत निंदनीय है, इसको लेकर भाजपा नेता को माफी मांगनी चाहिए।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बेरवा, पूर्व ज़िलाध्यक्ष हरिप्रसाद बेरवा, सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज फागना, सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान, दिनेश चौरसिया, श्री राम चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चौधरी राजेश चौधरी देवली ब्लॉक अध्यक्ष महादेव मीणा पीपलू ब्लॉक अध्यक्ष जय नारायण मीणा निवाई शहर अध्यक्ष सतीश शर्मा टोंक ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद बेग, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा किशन फगोड़िया, अलका बेरवा, ब्रह्म प्रकाश गुर्जर सलीम नकवी, इम्तियाज़ खान, पंकज यादव, हनुमान बेनीवाल, हंसराज इनके अलावा सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय श्री नृसिंह जयंती महोत्सव कल से

निवाई। कायस्थ मोहल्ला स्थित श्री हरिकृष्णचन्द्र केशवराय नया मंदिर में नृसिंह भक्त मंडल के तत्वावधान में 30 अप्रैल व 1 मई को दो दिवसीय श्री नृसिंह जयंती महोत्सव धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आरती के साथ भगवान का आव्हान किया जाएगा। शाम 5 बजे से सजीव झांकियों व लीलाओं का मंचन शुरू होगा। इसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा जी व भक्त प्रहलाद का नगर भ्रमण, हनुमान-राक्षस सेना का युद्ध कौशल व राधा-कृष्ण के बाल रूप के दर्शन मुख्य आकर्षण होंगे। इस दौरान छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी और विशेष आकर्षण के रूप में खम्बा फाडक़र भगवान नृसिंह के प्राकट्यय का सजीव चित्रण किया जाएगा। शाम 7:30 बजे महाआरती के बाद श्रद्धालु भगवान के विशेष दर्शन कर सकेंगे। कार्यक्रम के 1 मई को श्री वराह जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शाम 5 बजे से पुन: सजीव झांकियों का क्रम शुरू होगा।

गौ सम्मान आव्हान अभियान के तहत लोगों ने रैली निकाली

लालसोट। मुख्यालय पर सोमवार को गौ सम्मान आव्हान अभियान के तहत हजारों लोगों ने विशाल रैली निकालकर अपनी मांगों को बुलंद किया। रैली महाकाली मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम विजेंद्र मीणा को हजारों हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल गौभक्तों ने हाथों में तख्तियां लेकर पूरे मार्ग में गौ माता के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। शहर में इस दौरान धार्मिक और सामाजिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। गौशालाओं के लिए मुफ्त बिजली और 100 दिन का वेतन देने की मांग प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में मांग रखी कि गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, वहां कार्यरत लोगों को 100 दिन का वेतन मिले तथा गोवंश की संख्या के

रैली में गौभक्तों ने गौ माता के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की।

आधार पर मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराई जाए। सरकारी मंदिरों के साथ गौशाला संचालन को अनिवार्य करने की भी मांग उठाई गई।

गौ तस्करी और गौहत्या पर 'आजीवन सजा' की मांग आंदोलनकारियों ने गौ तस्करी और गौहत्या में शामिल अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास का प्रावधान करने की मांग की। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को जब्त कर उनकी नीलामी कर राशि गौशालाओं को देने और ऐसे मामलों में जमानत न देने की भी अपील की गई।

पक्षियों के लिए परिंडे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

लालसोट। भीषण गर्मी के बीच बेजुबान पक्षियों के प्रति संवेदनशील पहल करते हुए राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालसोट में आज एल्यूमिनि एसोसिएशन (पूर्व छात्र परिषद) के सदस्यों द्वारा परिसर में स्थित पेड़ों पर परिंडे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पक्षियों के लिए परिंडे लगाना करुणा, सह-अस्तित्व और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी जीव हमारे परिवार का हिस्सा हैं और गर्मी में प्यासे पक्षियों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। यह परंपरा समाज में दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पक्षियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी और घटते पेड़ों के कारण ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ गया है। परिंडे लगाना न केवल मानवता का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी का भी परिचायक है।

प्राचार्य ने इस सराहनीय पहल के लिए एल्यूमिनि एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय परिसर में स्थित पेड़ों पर विभिन्न प्रजातियों के हजारों पक्षी निवास करते हैं, जिनके लिए यह पहल अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

इस अवसर पर पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष प्रकाश चंद मीना सहित सदस्य विष्णु चरावंड्या, अजय मीना, हरिमोहन मीना, रोशन मीना, रामजीलाल मीना उपस्थित रहे।

ओंमकारेश्वर महादेव व संकट मोचन हनुमान मंदिर का उद्घाटन

कोटपूतली। कस्बे के मोहल्ला बड़ाबास स्थित बाला वाला कुआ के पास श्रीमती कांता देवी व पंडित रामनिवास शर्मा द्वारा पूर्वजों की स्मृति में निर्मित अखाड़ा वाले ओंमकारेश्वर महादेव व संकट मोचन हनुमान मंदिर का उद्घाटन समारोह का आगाज सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ था। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए उत्साहपूर्वक शामिल हुई।

इस कार्यक्रम में 27 अप्रैल से 4 मई तक पंडित हरीश महाराज हनुमानगढ़ वाले द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं रात्रि में नानी बाई को मायरो का वाचन किया जा रहा है। हरीश जी महाराज हनुमानगढ ने कथा का श्रवण पान करवाया। वहीं उन्होंने भागवत कथा में समय के महत्व के बारे में बताया साथ ही भक्तों को गौमाता की सेवा के लिए जागरूक किया

समारोह के दूसरे दिन भागवत कथा में भक्तजनों की भीड़ उमड़ी।

और बताया कि गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है।

उन्होंने कहा कि गौ माता के पंचगव्य से असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं। रात्रि बेला में बड़ी धूमधाम से नानी बाई का मायरा हुआ। जिसमें अनेक भक्त शामिल हुए। कथा में भगवान की सुन्दर सुन्दर सजीव झांकियों के दर्शन करवाये।

4 मई को हवन के आयोजन के साथ ही मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर शिव

- महिलाएं मंगल कलश लेकर भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए उत्साहपूर्वक शामिल हुई

कुमार शर्मा, विधि सलाहकार कमल प्रसाद शर्मा, इलेक्ट्रिशियन संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट के. के. शर्मा, डॉ. अनिल कुमार शर्मा पत्रकार, आदित्य शर्मा, दिनेश शर्मा सहित गुलाब दास महाराज, हरिशंकर शर्मा, डॉ. चंद्रकांत शर्मा पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आनंद पंडित, धंसीराम शर्मा विद्याधर शर्मा, सज्जन शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, रामजीवन भाटिया, मुकलेश दीक्षित, रामावतार सूद, पार्षद रामकरण सूद सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।

बैठक आयोजित

भरतपुर। जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें सभी संबंधित विभागों को आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने में विभागीय दायित्व निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सभी विभाग पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये गति सीमा की पालना, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने, अवैध कटों को वेरिकेटिंग लगाकर बंद करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर संबन्धित उपखंड अधिकारी को अवगत कराते हुए पुलिस से समन्वय कर हटवायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रभावी पैट्रोलिंग करते हुये सड़क किनारे खडे होने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्यवाही करें।

खोया पाया

मेरे मकान नं. 72/275A, मानसरोवर, जयपुर का "Certificate of Handing Over the House" कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें चन्द्रशेखर भार्गव 9530274484

खोया-पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती रोमा चावला पत्नी तुलसी चावला, निवासी 1001, फ्लोर नंबर 10, बिल्डिंग पुर्णिक आरम्भ, अपोजिट हवेर सिटी, थाणे, महाराष्ट्रा 400615 दिनांक 25.04.2026 को अपने निवास स्थान बी-1/201, अनुपम अपार्टमेंट, सेक्टर- 26, प्रताप नगर, जयपुर से अपने हक, अधिकार व स्वामित्व के प्लाट नंबर 324, विनोद विहार, मालवीय नगर, जयपुर का आवंटन पत्र, साईड प्लान व रसीद जो कि नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के द्वारा मेरी अभिभाष्या के पक्ष में जारी किये गये थे की फोटो स्टेट करवाने अपने जयपुर स्थित उक्त निवास से पास में ही स्थित फोटो कॉपी की दुकान पर जा रही थी जो कि प्लास्टिक की थेली में थे कहीं पर गिर गये जो कि काफी तलाशने पर भी नहीं मिले। यदि किसी आम व खास को मेरे उक्त वर्णित मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान मिल जाते है तो मेरे अभिभाष्य के कार्यालय या मेरे जयपुर स्थित प्लाट पर सुपुर्द कर देवे। सूचित रहे।

जयपुर महेन्द्र कुमार कमल, एडवोकेट
दिनांक: 28.04.2026 मोबाईल नंबर- 9982313201

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR

(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)

No. F-6(DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/993 Date : 27-04-2026

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3353064	Row Outside JDA Park, Marudhar Nagar In Front Of Plot No.-J-55-56-57 Tagore Nagar, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.

In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.

Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

समक्ष माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्र.सं. 1, जयपुर महानगर, द्वितीय, जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम प्रफुल्ल कुमार भाटिया एवं अन्य
425 / 18-4-26 वाद बाबत वसूली 1,95,169.00/- रूपये
वाद संख्या 165 सन् 2024

बनाम 1. प्रफुल्ल कुमार भाटिया पुत्र श्री मोती लाल भाटिया, निवासी मकान संख्या ई-9/552, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर-302021 एवं मकान संख्या 771, आदर्श चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302004 एवं केयर ऑफ हनी मोटर्स, दुकान संख्या बी-5, एवं बी-6, रीको शॉपिंग सेन्टर, रोड नं. 5, वी.के.आई. एरिया, जयपुर
2. गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, निवासी मकान संख्या 34-ए, विकास नगर, सैनी कृषि फार्म हाऊस, मुरलीपुरा, जयपुर

वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 30 माह मई सन् 2026 को दिन में 7:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख का इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 18 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

समक्ष माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
सील क्र.सं. 1, जयपुर महानगर, द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री विवेक बाजपेयी पुत्र स्व. श्री विजय शंकर बाजपेयी जाति निवासी 71/164, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर 302020 (राज.) स्वयं के पिताजी श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी के नाम से आवासीय फ्लेट नम्बर 71/150, ग्राउण्ड फ्लोर, परमहंस मार्ग, मानसरोवर स्कीम, जयपुर (राज.) मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 95.65 वर्गमीटर है एवं निर्मित क्षेत्रफल 1009.20 वर्गफीट है जिसे मेरे मुवक्किल एवं मेरे मुवक्किल के पिताजी श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड) मे बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण संख्या 650198084 है, उक्त श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी का स्वर्गवास 23.06.2021 को हो चुका है तथा उनकी माताजी श्रीमती हंसमुखी बाजपेयी पत्नि श्री भगवती चरण बाजपेयी का स्वर्गवास दिनांक 15.11.1979 को हो चुका है, श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान मे श्री विवेक बाजपेयी पुत्र स्व. श्री विजय शंकर बाजपेयी श्रीमती विमला बाजपेयी पत्नि स्व. श्री विजय शंकर बाजपेयी, प्रियंका आनन्द यादव पत्नि श्री आनन्द प्रकाश यादव पुत्री श्री स्व. श्री विजय शंकर बाजपेयी एवं मोनिका बाजपेयी पुत्री स्व. श्री विजय शंकर वाजपेयी है, इनके अलावा स्वर्गीय श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूंकि मेरे मुवक्किल एवं उनके पिताजी श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरे मुवक्किल स्वयं के पिताजी श्री विजय शंकर बाजपेयी पुत्र श्री भगवती चरण बाजपेयी के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहते है, इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।

जयपुर (श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
दिनांक 6/48, मालवीय नगर, जयपुर मो. -9829218044

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध दिपाली खूटेंटा व अन्य
वाद बाबत वसूली
वाद सं. 10 सन् 20

नाम दिपाली खूटेंटा पुत्री गिर्राज खूटेंटा जाति खूटेंटा पुत्री अंकुश रावत स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर

...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 05 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे कें समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं.-4 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध दीपाली खूटेंटा व अन्य
वाद बाबत वसूली
वाद सं. 10 सन् 20

नाम अंकुश रावत पुत्र क्रांति कुमार रावत जाति रावत स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर

...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 05 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे कें समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं.-4 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 10/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी माजरीकला, नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास अन्तर्गत प्रन्यास संत श्री नामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड में चुनाव उपरान्त हुए न्यासी परिवर्तन को दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 02.06.2026

मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1718

चूंकि प्रार्थी श्री MAHENDRA GARGIEYA, 537-538, MAHIMA TRITINY MALL, NEW SANGANER ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN (302019) ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास तुलसीबाई पंडित रामप्रताप शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट, 1st FLOOR, BHAGAT BHAWAN, M.I. ROAD S.O, RAJASTHAN INDIA, JAIPUR, RAJASTHAN (302001) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय ग्राम पंचायत पढाना पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :- SP26 ई-निविदा सूचना संख्या-01/2026-27 दिनांक :- 24.04.2026

पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत पढाना में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत पढाना / पं.स.सवाई माधोपुर
NIB No. - ZSM2627A0070
UBN No.- ZSM2627WSOB00100
प्रशासक / ग्राम पंचायत पढाना / पं.स.सवाई माधोपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांकः न.नि.भ./ स्कीम / 2025-26/1896 दिनांक : 23.04.2026

सार्वजनिक सूचना

सूरजमल नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 403 क्षेत्रफल 132.52 वर्गगज का आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक 2354 दिनांक 14.12.2012 कार्यालय नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा श्रीमती मुकेश देवी पत्नी श्री भरत सिंह जाति जाट निवासी केन्द्रीय विद्यालय के पास. सूरजमल नगर, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्रीमती मुकेश देवी पत्नी श्री भरत सिंह ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 08.09.2014 के द्वारा श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बलवीर सिंह को विक्रय कर दिया। विक्रय होने के पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन नगर सुधार न्यास, भरतपुर के पत्रांक 11474-75 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बलवीर सिंह के नाम पूर्व में हो चुका है। श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बलवीर सिंह ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.04.2026 के द्वारा श्री पीतम सिंह यादव पुत्र श्री रामजीलाल यादव को विक्रय कर दिया। आवेदक श्री पीतम सिंह यादव पुत्र श्री रामजीलाल यादव जाति अहीर निवासी-आर-380 सिविल लाइन्स, इनफन्ट ऑफ पुलिस परेश ग्राउण्ड, भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। सूरजमल नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 403 का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद सूरजमल नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 403 का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन लाल कोठी, टोंक रोड जयपुर)

क्रमांक :- जसअ / 2026 / 44 दिनांकः 22.04.2026

ई-निविदा सूचना सं. उपायुक्त पशु प्रबंधन 06/2026-27

नगर निगम जयपुर क्षैत्र से उत्पाती बंदरो को पकडकर उनके प्राकृतिक वातावरण में छोडने का कार्य मय संसाधन व श्रमिक वार्षिकी दर संविदा कार्य वर्ष 2026-27 हेतु निविदा दिनांक 21.04.2026 को सांय 06:00 बजे से आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, बिड बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, बिड के नियम, शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No. :- JMC2627SLOB00083
राज.संवाद / सी / 26 / 1689

उपायुक्त पशु प्रबंधन
नगर निगम जयपुर